

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं०सं०-प्र०-2/अ०ख०-06/16.....५९७...../एम०, पटना, दिनांक...२५.१.१८...

प्रेषक,

E-mail/Fax

सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

श्री मुहम्मद असरारूल हक,
माननीय सदस्य लोकसभा,
16, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110011,
Email:-mahaqqasmi@gmail.com.

विषय:- किशनगंज जिलान्तर्गत बालूघाट बंदोबस्ती के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-KNF/190/18, दिनांक-02.01.18


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कुल 8 बालूघाटों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें से 4 बालूघाटों (यथा-बेलवा, बक्सा, बाल्दीया तथा ठाकुरगंज) की बंदोबस्ती दिनांक-06.01.18 को ई-निविदा के माध्यम से कराई जा चुकी है। शेष 4 बालूघाटों (यथा-अर्राबारी, कुट्टी, चकला तथा पवना) की बंदोबस्ती कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

कृपया सादर सूचनार्थ।


२५/१/१८

विश्वसभाजन



सरकार के अवर सचिव